

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

भंवरलाल वगै० बनाम कन्हैयालाल वगै०

GMS-2025/90

मुकदमा नम्बर :- 45/2025

वाद पत्र धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26.03.2025	<p>वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 02.04.2025 को पेश हो।</p> <p>02/4/25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के माध्यम से वकील वादी के बार-बार आवान डिलापी गयी। वकील वादी अपालक व वकालत अनुपस्थित है। अतः पत्रावली अफन घापी अफन घापी में स्वीकार के जाते हैं। पत्रावली दर्ज-नाखर से नकल तथा अपिल दफ्तर में।</p>	

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)